कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।

पत्रांक 1854 /14–10 (FP/Road/145614/21) सहारनपुर, दिनांक 15-11-2022

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना पी0आइ0यू0–रूड़की
जनपद– हरिद्वार।

विषयः– जनपद सहारनपुर में Diversion of forest land for the development of 6-lane (Greenfiled) accesscontrolled spur to Haridwar for Delhi-Saharanpur-Dehradun Economic Corridor Section of NH-334 BG from 0.00 to km 19.070 in Saharanpur District में निर्माण कार्य हेतु 1.6518 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 95 वृक्षों के पातन/ट्रान्साप्लांट की अनुमति के संबंध में ऑनलाइन प्रस्ताव सं0 **FP/UP/Road/145614/2021**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, लखनऊ की पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/06/208/2022/एफ0सी0/654 दिनांक 31.10.2022

महोदय,

कृपया भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 31.10.2022 जो इस कार्यालय के साथ–साथ आपको भी पृष्ठांकित है, के द्वारा जनपद सहारनपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सहारनपुर–हरिद्वार (देहली–सहारनपुर–देहरादून) 06 लेन कोरीडोर एन.एच. –334 बीजी मार्ग के निर्माण हेतु 1.6518 हे0 संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 95 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लान्ट की अनुमति के संबंध में सैद्धातिक स्वीकृति (स्टेज–1) कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गई है।

सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक 31.10.2022 में उल्लेखित शर्त संख्या–03 एवं 04 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार हैः–

1– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि :–					
शर्त सख्या	प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे0मे0)	दर	धनराशि (रूपये में)	भुगतान किये जाने संबंधी विवरण
01	02	03	04	05	06
शर्त संख्या–3	सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर	3.50 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण		14,30,796.00	प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान से
2– संरक्षित वन का शुद्व वर्तमान मूल्य (NPW) की धनराशि (भारत सरकार के पत्र सख्या 5–3/2011–FC(VOL-I) दिनांक 06.01.2022 के क्रम में बढी हुई एन.पी.वी. (नई दर)					
शर्त संख्या–4	सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर	1.6518 हे0	1228590.00	20,29,385.00	
		योग		**34,60,181.00**	

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31.10.2022 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्वांतिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या–03 के अनुपालन में 3.50 हे0 अवनत भूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण सहित धनराशि रू0 14,30,796.00 (चौदह लाख तीस हजार सात सौ

.....2

छियानवे) मात्र एवं शर्त संख्या–04 के अनुपालन में 1.6518 हे0 सरक्षित भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य रूपये 20,29,385.00 (बीस लाख उन्नतीस हजार तीन सौ पिचासी) मात्र इस प्रकार कुल रू0 14,30,796.00+20,29,385.00 =34,60,181.00 (चौंतीस लाख साठ हजार एक सौ इकयासी) मात्र की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पॉर्टल के माध्यम से जनरेट चालान से कैम्पा फण्ड मे नियमानुसार धनराशि जमा करना सुनिश्चित करें व भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.10.2022 में उल्लेखित समस्त शर्त सख्या 01 से 26 तक की अनुपालन आख्या/प्रमाण–पत्र/वचनबद्वताओं के इस कार्यालय में यथा शीघ उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर

पत्रांक : 1854 / 141 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके कार्यालय पत्रांक 11 सी–1563/FP/UP/ROAD/145614/2021 दिनांक 02.11.2022 के अनुपालन में।

2– प्रतिलिपि वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर